


(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

संदीप कोठारी, 2- कंचन विहार सांगानेर रोड, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या :- 16/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-04-2025	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 03-01-2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा रेस्पोंडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आनलाईन 03-02-2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 20088 दिनांक 16-04-2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बंध में उक्त पत्रांक 20088 दिनांक 16-04-2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील की जवाब के समर्थन में अभिलेख पर मौजूद है।अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति एवं एतराज अभिलेख पर मौजूद नहीं है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी - प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 16-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (जसमीत सिंह संघू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

